न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 80/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 लाल मोहम्मद पिता अमीरदीन पिनारा, मुसलमान उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकल जिला शाहपुरा

बनाम .... प्रार्थी

1 मु. प्रेम पुत्री रामा रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

2 मु. बरजी पुत्री रामा रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

3 मोहन पिता रामा रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

4 मु.सरजु पुत्री रामा रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

5 मु.भगवती पत्नि प्रहलाद रेगर उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

6 सुनील कुमार पिता रामधंन नायक उम्र–वयस्क निवासी कोठिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा

7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा (राज.)

..... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री अनिल शर्मा——— प्रार्थी अधिवक्ता

राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

अनुपस्थित– अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 06

<u>निर्णय</u>

दिनांक 23.08.2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए दिनांक 04.05.2023 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार मौजा कोठिया पटवार मण्डल क्षेत्र कोठिया तहसील फुलियाकलां स्थित खसरा संख्या 2536 प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों में दर्ज अभिलिखित है, एवं प्रार्थी की खातेदारी खसरे में आवागमन का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपने खसरान तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थीगण के सहखातेदारी खसरान में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण द्वारा रूकावट/बाधा उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 की आराजी संख्या 5275/2530 किस्म चाही चतुर्थ एवं इसी प्रकार से विपक्षी संख्या 06 की आराजी संख्या 5276/2530 किस्म चाही चतुर्थ, और राजकीय/सरकारी स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 2527, 2528, 2531 में से नवीन रास्ता कायमी बाबत प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अंत में प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार कराया जाकर प्रार्थी के

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी खसरे में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण के हक स्वामित्व की खसरान संख्या 2527, 2528, 2531, 5275/2530, 5276/2530 भूमि में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किये जाने की ईस्तदुआ की गई।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 30.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस, कारण दर्शित करने हेतु तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, जिन्हे रेकार्ड पर लिया गया। विपक्षीगण बावजूद विधिक रूप से सूचित किए, नियत की गई सुनवाई पर गैर–हाजिर पाये गये, लिहाजन विरूद्ध विपक्षी संख्या 01 से लगायत 06 एकतरफा कार्यवाही की आज्ञा पारित की गई।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावें, जिसके अनुपालन में तहसीलदार फुलियाकलां ने अपने प्रतिवेदन के साथ रिपोर्ट हल्का पटवारी, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी आदि पत्रादि प्रस्तुत की।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त नवीन रास्ता कायमी बाबत मौका रिपोर्ट से यह अवगत कराया है कि प्रार्थी के पास चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक की उपलब्धता है। जो तुल्नात्मक रूप से निकटतम होना बताया गया है।

लेकिन साथ ही साथ प्रार्थी की मांग अनुसार तहसीलदार द्वारा मौजा कोठिया प.ह.क्षेत्र कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 5275/2530 में से रकबा 0.0304 हैक्टयर (20 फीट चौडाई/3280 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 के खातेदारी खसरा संख्या 5276/2530 में से रकबा 0.0243 हैक्टयर (20 फीट चौडाई/2620 वर्गफीट) और राजकीय/सरकारी स्वामित्व की बिलानाम खसरान संख्या 2527 में से रकबा 0.0366 हैक्टयर (20 फीट चौडाई/3940 वर्गफीट), संख्या 2528 में से रकबा 0.0248 हैक्टयर (20 फीट चौडाई/2680 वर्गफीट), संख्या 2531 में से रकबा 0.0334 हैक्टयर (20 फीट चौडाई/3600 वर्गफीट) कुल रकबा 0.1495 हैक्टयर (1495 वर्गमीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में अपने अभिवचनों/तर्को से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को मंजूर किए जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट के विश्र्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता :– प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नही है। भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी का बतौर वैकल्पिक मार्ग आराजियात संख्या 2538, 2542 में से होकर अपने खसरे में आवागमन हो सकना अथवा किया जाना अवगत कराया है। लेकिन इस वैकल्पिक मार्ग का सुचारू एवं निकटतम होना पूर्णतया साबित नही हुआ है।
2. प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र विचारण दौरान ही चाहे गये नवीन मार्ग में होने वाले प्रभावित खसरान में से 2527, 2528, 2531 का प्रत्यहरण मार्फत प्रार्थनापत्र किया है। प्रस्तुत कराये गये प्रार्थनापत्र के बारीकी से विश्लेषण के पश्चात प्रार्थी को प्रत्यहरण हेतु अनुमत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) कानून मुताबिक प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें व रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। फिर भी अप्रार्थीगण को न्यूनतम क्षति/असुविधा हो एवं उनका कम से कम रकबा प्रभावित हो इसे दृष्टिगत रखते हुए तहसीलदार फुलियाकलां से प्राप्त प्रतिवेदन के मुकाबले प्रार्थी के लिए प्रस्तावित किए गये खसरान में से 20 फिट के स्थान पर 15 फिट चौडाई का नवीन मार्ग उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त एवं आवश्यक समझता है।

अतः प्रार्थी के प्रत्याहरित किए गये खसरान को अनुतोष से कम करते हुए मौजा कोठिया प.ह. क्षेत्र कोठिया स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 5275/2530 में से रकबा 0.0228 हैक्टयर (15 फीट चौडाई/2460 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 के खातेदारी खसरा संख्या 5276/2530 में से रकबा 0.0182 हैक्टयर (15 फीट चौडाई/1965 वर्गफीट) कुल रकबा 0.0410 हैक्टयर (410 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके मौजा कोठिया प.ह.क्षेत्र कोठिया भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र अरवड तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा स्थित अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 के सहखातेदारी खसरान संख्या 5275/2530 में से रकबा 0.0228 हैक्टयर (15 फीट चौडाई/2460 वर्गफीट) अप्रार्थी संख्या 06 के खातेदारी खसरा संख्या 5276/2530 में से रकबा 0.0182 हैक्टयर (15 फीट चौडाई/1965 वर्गफीट) कुल रकबा 0.0410 हैक्टयर (4425 वर्गफीट) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड में अमल–दरामद किया जावें।

यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण (आराजी संख्या 5275/2530, 5276/2530 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल.सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0410 हैक्टेयर (410 वर्गमीटर) मालियत राशि की तीन गुना राशि कुल 33,274/–रूपये अदायगी कर दी जावेगी/राजकोष में जमा करा दी जावेगी।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 23.08 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला शाहपुरा

Scanned with OKEN Scanner